राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.5(283)/निपेवि/नियम/2014 358-560H दिनांक : 30.03.2015

समस्त विभागाध्यक्ष,

....

....

विषय :– राजस्थान सिविल सेवा पेंशन (नियम) 1996 के नियम 78 में वर्णित प्रारूप 6 को प्रतिस्थापित किये जाने बाबत।

प्रसंग :– संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा वित्त (नियम) विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन (नियम) 1996 के नियम 78 में वर्णित विद्यमान प्रारूप 6 को जो परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है, से प्रतिस्थापित किया है।

उक्त परिपत्र एवं परिशिष्ट "अ" (प्रारूप 6) की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि आपके विभाग/कार्यालय से सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृति आदेश वित्त विभाग द्वारा निर्धारित उक्त प्रारूप में ही जारी किये जावे तथा भविष्य में इस विभाग एवं श्रेत्रीय कार्यालय पेंशन विभाग को भिजवाये जाने वाले पेंशन प्रकरणों के साथ उक्त प्रारूप में ही सेवानिवृति आदेश जारी कर संलग्न किये जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डी. के. मित्तल)
निदेशक

क्रमांक : प.5(283)/निपेवि/नियम/2014 358-560H दिनांक : 30.03.2015

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर,उदयपुर।
2. कोषाधिकारी .... (समस्त), राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त संशोधन के संबंध में सभी संबंधितों के ध्यान में लायें।
3. कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को पेंशन विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु।
4. उप/सहायक निदेशक, पीआर 1–4, 2–6, 3 एवं 5–7, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सहायक लेखाधिकारी, पीआर 1–4, 2–6, 3 एवं 5–7, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रधान सम्पादक, लेखा विज्ञ संस्थान, जनता प्रिन्टर्स, ए–9, फ्रेन्डस कॉलोनी, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर, 302015
7. प्रधान सम्पादक, लेखा नियम, 1297, सांगो का रास्ता, किशन पोल बाजार, जयपुर 302003

निदेशक